



प्रेस नोट

थाना – हाफिजपुर

दिनांक 19.11.2022

थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू की अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति (TATA ACE) को जब्त किया गया ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 001/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अपराधी बबलू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति (TATA ACE) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में जब्त किया गया है ।



कुर्क की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित अभियुक्त का विवरण:-

बबलू पुत्र राजाराम निवासी पिथनपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण:-

TATA ACE (छोटा हाथी) रजि0 नं0 UP14DT1765

कुर्क की कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।
2. व0उ0नि0 श्री दिनेश चन्द थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।
3. है0का0 496 नितिन कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।
4. का0 106 विक्रान्त तोमर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।